अति तत्काल

आरएलबी जारी (निर्गमन) संख्या 35/2021-22

राज्य सरकारों के लेखों में जमा की जाने वाली राशि

एफ.15(4)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक नंबर XI, 5वीं मंजिल
सीजीओ कॉम्प्लेक्स
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 17-01-2022

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य- ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली- 110001

विषय: पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) द्वारा **ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुशंसित मूल अनुदान (असहबद्ध)** जारी करना।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को वर्ष 2021-22 के लिए अनुबंध-1 (पृष्ठ-3) में दिए गए विवरण के अनुसार **45560.00** लाख रुपये (चार सौ पचपन करोड़ रुपये और साठ लाख रुपये केवल) की राशि एफसी-XV अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के मूल अनुदान (असहबद्ध) की दूसरी किस्त राज्य सरकार को जारी करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत कराने का निदेश दिया गया है।

2. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि अनुबंध-I (पृष्ठ-3) में संबंधित राज्य के लिए उल्लिखित राशि, यदि कोई हो (जहां संविधान का भाग IX और IXक लागू नहीं होता है) को राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या की 90% भारिता और क्षेत्र के आधार पर 10% भारिता के आधार पर सामान्य क्षेत्रों और बहिष्कृत क्षेत्रों को आवंटित की जाए।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **बहिष्कृत क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदान राज्य वित्त विभाग द्वारा संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ग्राम विकास बोर्डों (वीबीडी)/ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से पंचायती राज एडीसी/वीबीडी मामलों की देखभाल करने वालों को सीधे अंतरित की जाएगी।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए आवंटित अनुदान पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दिए गए पारस्परिक हिस्से के अनुसार संवितरित की जाएगी और नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत अनुशंसा के आधार पर राज्य में प्रत्येक स्तर पर संवितरित की जाएगी। तथापि, वितरण के लिए एसएफसी अनुशंसा की अनुपलब्धता के मामले में, आबंटन जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में होना चाहिए।

5. राज्य (राज्य वित्त विभाग) बिना किसी कटौती के केंद्र सरकार से प्राप्त होने के दस कार्य दिनों में संबंधित संस्थाओं को सहायता अनुदान अंतरित करेंगे।

6. दस कार्य दिनों से अधिक विलंब होने पर राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋणों /राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर औसत ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज सहित उपर्युक्त अनुदान किस्त जारी करनी होगी।

7. उपर्युक्त मूल अनुदान असहबद्ध हैं और उनका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट महसूस की गई आवश्यकता के लिए किया जा सकता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाह्य एजेंसियों द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित व्यय इस अनुदान से वहन किया जा सकता है।

8. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान एफसी-XV [अंतिम रिपोर्ट] की अनुशंसा स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने वाले अध्याय-7 में निहित के अनुसार शासित की जाएगी और व्यय विभाग एफ15(2)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक 14/07/2021 द्वारा जारी किए गए विषय पर परिचालन दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाएगा।

9. राज्य सरकारों/स्वायत्त जिला परिषदों/बहिष्कृत क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्त आयोग-XV अनुदान के लिए प्रत्येक परिषद इकाई का एक अलग बैंक खाता खोला गया है और इसे 2021-22 के दौरान ही पीएफएमएस के साथ जोड़ा जाना है और इसके बाद पूरी अवधि के लिए प्रत्येक लेनदेन के लिए बनाए रखा जाना है।

10. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को संबंधित राज्य सरकारों के लेखों में उपरोक्त राशि जमा करने की सलाह दें।

11. वित्त मंत्रालय के लेखों में वर्ष 2021-22 के लिए कार्यात्मक शीर्ष 3601071020100 के अंतर्गत राज्य सरकार को अंतरण की मांग अनुदान संख्या 40 में भुगतान समायोज्य हैं। प्रयोजन शीर्ष 31, स्थानीय निकायों (3.01 ग्रामीण निकायों) के लिए अनुदान के रूप में योजना कोड 2084 है।

(अभय कुमार)
निदेशक (एफसीडी)

प्रतिलिपि:-

क्र.सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
4.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
5.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
6.	महालेखाकार (ए एंड ई), संबंधित राज्य सरकार (ओं)
7.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
8.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
9.	सचिव (स्वायत्त जिला परिषद मामले विभाग), संबंधित राज्य सरकार (ओं)

(अभय कुमार)
निदेशक (एफसीडी)

अनुलग्नक-I

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**राशि (लाख रुपये में)**	**अनुदान घटक**	**किस्त**	**वर्ष**
1.	छत्तीसगढ़	21500.00	आरएलबी का मूल अनुदान (असहबद्ध)	द्वितीय	2021-22
2.	केरल	24060.00	-वही-	-वही-	-वही-
x	**योग**	**45560.00**	x	x	x

****